

दुमका समाहरणालय
जिला राजस्व शाखा।

पत्रांक 1658/रा0

प्रेषक,

अपर समाहर्ता,
दुमका।

सेवा में,

सहायक जेनरल मैनेजर,
जे.सी.पी. बी-8 सूर्यदेव नगर
हर्ष विहार कोलोनी, कोलाकुसमा
सरायढेला धनबाद।

विषय:— दुमका दिनांक 28-11-16
दुमका जिला अन्तर्गत जामा अंचल के गोविन्दपुर दुमका 220 के.वी. विद्युत संचरण लाईन में पड़नेवाले जंगल झाड़ी भूमि का अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में।

प्रसंग:— आपका पत्रांक 629 दिनांक 26.08..2016
महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के संबंध सूचित करना है कि दुमका जिला अन्तर्गत अंचल जामा के विभिन्न मौजा में 220 के.वी. गोविन्दपुर दुमका विद्युत संचरण लाईन में पड़नेवाले जंगल झाड़ी भूमि का अनापत्ति प्रमाण -पत्र का माँग किया गया है। मौजा निम्न प्रकार है:—

जामा— मौजा— विजयबांध
मौजा— सुखबारी उर्फ मुर्गाबनी
मौजा— बान्दो
मौजा— डाँडो डुमरिया
मौजा— दलदली

उपर्युक्त अंकित मौजा में पड़नेवाले जंगल-झाड़ी भूमि का सत्यापन अंचल अधिकारी, जामा द्वारा किया गया है। अंचल अधिकारी, जामा से प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन के आधार पर गोविन्दपुर दुमका 220 के.वी. विद्युत संचरण लाईन हेतु विहित प्रपत्र में अंकित मौजों का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया जा रहा है।
है और इस के साथ सत्यापन कर आवश्यक कार्रवाई लेने प्रेषित किया है।

अनुलग्नक:—

अनापत्ति प्रमाण पत्र

विश्वासभाजन

28/11/16
अपर समाहर्ता
दुमका



भारत सरकार
कार्यालय

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, दुमका (झारखंड)
(जिला राजस्व शाखा)

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

"गैर मजरूआ Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी, जंगल सखुआ, जंगल इत्यादि) भूमि जो जिला दुमका, अंचल जामा, मौजा विजयबांध, थाना नं०- 40, खाता नं०- 35 प्लॉट नं०- 491(अंश), किस्म भूमि जंगल- झाड़ी, में कुल रकबा-0.1871 हेक्टर में सन्निहित है तथा अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि एवं अन्य वन (Deemed Forest) भूमि से बाहर है के उपयोजन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात् इसके विधिवत् हस्तांतरण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा गैर मजरूआ भूमि के हस्तांतरण के प्रस्ताव की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जायगा। गैर मजरूआ जंगल-झाड़ी (Deemed Forest) भूमि के सशुल्क हस्तांतरण/लीज बन्दोवस्ती हेतु राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जायेगा।"


उपायुक्त
दुमका।



कार्यालय

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, दुमका (झारखंड)
(जिला राजस्व शाखा)

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

"गैर मजरूआ Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी, जंगल सखुआ, जंगल इत्यादि) भूमि जो जिला दुमका, अंचल जामा, मौजा सुखबारी उर्फ मुर्गाबनी, थाना नं०- 41, खाता नं० 40 प्लॉट नं०- 22(अंश), किस्म भूमि जंगल- झाड़ी, में कुल रकबा-0.6315 हेक्टर में सन्निहित है तथा अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि एवं अन्य वन (Deemed Forest) भूमि से बाहर है के उपयोजन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात् इसके विधिवत् हस्तांतरण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा गैर मजरूआ भूमि के हस्तांतरण के प्रस्ताव की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जायगा। गैर मजरूआ जंगल-झाड़ी (Deemed Forest) भूमि के सशुल्क हस्तांतरण/लीज बन्दोवस्ती हेतु राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जायेगा।"


26/11/18
उपायुक्त
दुमका।



कार्यालय

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, दुमका (झारखंड)
(जिला राजस्व शाखा)

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

"गैर मजरूआ Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी, जंगल सखुआ, जंगल इत्यादि) भूमि जो जिला दुमका, अंचल जामा, मौजा बान्दो थाना नं०- 11 खाता नं० 40 प्लॉट नं०- 04(अंश), किस्म भूमि जंगल- झाड़ी, में कुल रकबा-0.4759 हेक्टर में सन्निहित है तथा अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि एवं अन्य वन (Deemed Forest) भूमि से बाहर है के उपयोजन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात् इसके विधिवत् हस्तांतरण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा गैर मजरूआ भूमि के हस्तांतरण के प्रस्ताव की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जायगा। गैर मजरूआ जंगल-झाड़ी (Deemed Forest) भूमि के सशुल्क हस्तांतरण/लीज बन्दोवस्ती हेतु राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जायेगा।"


26/11/18
उपायुक्त
दुमका।



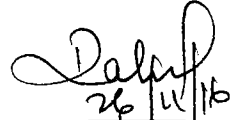
भारत सरकार

कार्यालय

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, दुमका (झारखंड)
(जिला राजस्व शाखा)

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

"गैर मजरूआ Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी, जंगल सखुआ, जंगल इत्यादि) भूमि जो जिला दुमका, अंचल जामा, मौजा बान्दो थाना नं०- 11 खाता नं० 40 प्लॉट नं०- 54(अंश), किस्म भूमि जंगल- झाड़ी, में कुल रकबा-0.1400 हेक्टर में सन्निहित है तथा अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि एवं अन्य वन (Deemed Forest) भूमि से बाहर है के उपयोजन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात् इसके विधिवत् हस्तांतरण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा गैर मजरूआ भूमि के हस्तांतरण के प्रस्ताव की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जायगा। गैर मजरूआ जंगल-झाड़ी (Deemed Forest) भूमि के सशुल्क हस्तांतरण/लीज बन्दोवस्ती हेतु राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जायेगा।"


26/11/16
उपायुक्त
दुमका।



उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, दुमका (झारखंड)
(जिला राजस्व शाखा)

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

"गैर मजरूआ Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी, जंगल सखुआ, जंगल इत्यादि) भूमि जो जिला दुमका, अंचल जामा, मौजा डाँडो डुमरिया थाना नं०- 27 खाता नं० 26 प्लॉट नं०-424 (अंश), किस्म भूमि जंगल- झाड़ी, में कुल रकवा-0.2495 हेक्टर में सन्निहित है तथा अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि एवं अन्य वन (Deemed Forest) भूमि से बाहर है के उपयोजन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात् इसके विधिवत् हस्तांतरण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा गैर मजरूआ भूमि के हस्तांतरण के प्रस्ताव की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जायगा। गैर मजरूआ जंगल-झाड़ी (Deemed Forest) भूमि के सशुल्क हस्तांतरण/लीज बन्दोवस्ती हेतु राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जायेगा।"


26/11/16
उपायुक्त
दुमका।

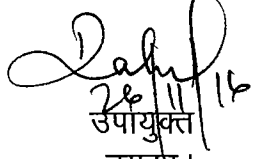


भारत सरकार
कार्यालय

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, दुमका (झारखंड)
(जिला राजस्व शाखा)

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

"गैर मजरूआ Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी, जंगल सखुआ, जंगल इत्यादि) भूमि जो जिला दुमका, अंचल जामा, मौजा डाँडो डुमरिया थाना नं०- 27 खाता नं० 26 प्लॉट नं०-426 (अंश), किस्म भूमि जंगल- झाड़ी, में कुल रकबा-0.1871 हेक्टर में सन्निहित है तथा अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि एवं अन्य वन (Deemed Forest) भूमि से बाहर है के उपयोजन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात् इसके विधिवत् हस्तांतरण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा गैर मजरूआ भूमि के हस्तांतरण के प्रस्ताव की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जायेगा। गैर मजरूआ जंगल-झाड़ी (Deemed Forest) भूमि के सशुल्क हस्तांतरण/लीज बन्दोवस्ती हेतु राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जायेगा।"


उपायुक्त
दुमका।



भारत सरकार

कार्यालय

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, दुमका (झारखंड)
(जिला राजस्व शाखा)

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

"गैर मजरूआ Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी, जंगल सखुआ, जंगल इत्यादि) भूमि जो जिला दुमका, अंचल जामा, मौजा दलदली थाना नं०- 30 खाता नं० 47 प्लॉट नं०-560 (अंश), किस्म भूमि जंगल- झाड़ी, में कुल रकबा-0.4066 हेक्टर में सन्निहित है तथा अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि एवं अन्य वन (Deemed Forest) भूमि से बाहर है के उपयोजन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात् इसके विधिवत् हस्तांतरण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा गैर मजरूआ भूमि के हस्तांतरण के प्रस्ताव की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जायेगा। गैर मजरूआ जंगल-झाड़ी (Deemed Forest) भूमि के सशुल्क हस्तांतरण/लीज बन्दोवस्ती हेतु राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जायेगा।"


उपायुक्त
दुमका।